यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी के माह 05/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.05.2017 से 06.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील भटवाडी

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13			213.00	208.65	05.69	05.47	-	-
2013-14			254.22	251.25	09.66	09.07	-	-
2014-15	-	-	266.00	257.56	07.31	06.76	-	-
2015-16	-	-	301.75	295.52	27.29	14.09	-	-
2016-17	-	-	384.33	324.33	12.70	10.57	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2013, 03/2014, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 49.60 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 04.14 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 49.60 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 04.14 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2012-13 तक	2044908	181774
2013-14 तक	3869943	327568
2014-15 तक	6544639	133434
2015-16 तक	2950882	217076
2016-17 तक	4959811	414443

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली एक अनवरत प्रकिया है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर शीघ्र ही आर0सी0 एवं संग्रह प्रभार की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-**01** अनियमित व्यय रु 4000/-

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी के वाहन संख्या UK-10-GA-0023 की लॉग बुक जांच में पाया गया कि माह 12/2016 में लॉगबुक के अनुसार वाहन में ईधन निम्न प्रकार से भरवाया गया,

दिनांक	भरवाया गया ईधन
10.12.2016	70 लीटर
13.12.2016	40 लीटर
22.12.2016	35 लीटर
28.12.2016	35 लीटर
कुल -	180 लीटर

जबकि माह 12/2016 की समरी के अनुसार 170 लीटर ईधन दिखाया गया इस प्रकार 10 लीटर ईधन का अन्तर पाया गया, एवं दिनांक 10.12.2016 को भराये गये 70 लीटर ईधन से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य इकाई द्वारा प्रस्तुत नही किया गया, अतः माह में भराये गये ईधन में कुल 80 लीटर का अन्तर पाया गया, जिसमें लगभग 80*50= 4000 रुपये मूल्य की विसंगति पाई गई।

इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वाहन चालक से स्थिति स्पष्ट करवाकर लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा, उत्तर मान्य नही है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री पी0एल0शाह	उपजिलाधिकारी	05.12.2011	05.05.2012
2.	श्री एस0के0 बरनवाल	उपजिलाधिकारी	05.05.2012	13.06.2012
3.	श्री देवमूर्ति यादव	उपजिलाधिकारी	14.06.2012	10.06.2013
4.	श्री के0के0 सिंह	उपजिलाधिकारी	10.06.2013	23.03.2015
5.	श्री हरगिरी	उपजिलाधिकारी	24.03.2015	09.12.2015
6.	श्री राजकुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	10.12.2015	12.02.2016
7.	श्री जयवर्धन शर्मा	उपजिलाधिकारी	12.02.2016	16.06.2016
8.	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी	16.06.2016	08.07.2016
9.	श्री विजयनाथ शुक्ल	उपजिलाधिकारी	08.07.2016	05.10.2016
10.	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी	05.10.2016	03.01.2017
11.	श्री नितिका खण्डेलवाल	उपजिलाधिकारी	14.01.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र